

65

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12016

सिग- 3273-2-16

ओमप्रकाश पुत्र सुगनलाल, निवासी-
नगरपालिका के पास सुनहरा रोड़
सबलगढ़ जिला मुरैना (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ जिला
मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2015-16/अ.मा.
में पारित आदेश दिनांक 30/08/2016 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि, सबलगढ़ में स्थित मंदिर श्री मुरली मनोहर मंदिर के पुजारी द्वारा विवादित भूमियां आवेदक के पिता को लगभग 90 वर्ष पूर्व पट्टा दिया गया था, तभी से आवेदक के पिता व उनके पश्चात् आवेदक विवादित भूमियों पर आधिपत्यधारी चला आ रहा है।
2. यहकि, आवेदक के विरुद्ध तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के अधीन बेदखली एवं 35,000/- रु. अर्थदण्ड अधिरोपित कर आदेश पारित किया गया है।
3. यहकि, इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपल की है जो सुनवाई हेतु ग्राह्य होकर वर्तमान में विचाराधीन है।
4. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 52 के अधीन स्थगन आदेश हेतु आवेदन किया गया था जो, आक्षेपित आदेश

अमित शर्मा कर्मा
23-9-16

23-9-16
47
23-9-16


Ashargava
23-9-16
अमित शर्मा
(अधीन)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3273-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-17 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">  प्रशासकीय सदस्य </p>